

सभी कोटि के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका – 2026

क्रमांक	अवकाश का विवरण	तिथि	अवकाश की संख्या	सप्ताह के दिन
1	शीतकालीन अवकाश	1 जनवरी से 5 जनवरी	4	गुरुवार से सोमवार
2	सोहराय	12 जनवरी	1	सोमवार
3	सोहराय (खुन्टाव)	13 जनवरी	1	मंगलवार
4	मकर संक्रान्ति	14 जनवरी	1	बुधवार
5	नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती/बसंत पंचमी	23 जनवरी	1	शुक्रवार
6	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	1	सोमवार
7	संत रविदास जयंती	1 फरवरी	0	रविवार
8	महाशिवरात्रि	15 फरवरी	0	रविवार
9	होलिका दहन	3 मार्च	1	मंगलवार
10	होली	4 मार्च	1	बुधवार
11	ईद-उल-फितर/सरहुल (तृतीय शनिवार)	21 मार्च	0	शनिवार
12	सरहुल (फुलखोंसी)	22 मार्च	0	रविवार
13	रामनवमी	26 मार्च	1	गुरुवार
14	महावीर जयंती	31 मार्च	1	मंगलवार
15	गुड फ्राइडे	3 अप्रैल	1	शुक्रवार
16	डॉ० भीमराव अंबेदकर जयंती	14 अप्रैल	1	मंगलवार
17	मजदूर दिवस/बुद्ध पुर्णिमा/ पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म दिवस	1 मई	1	शुक्रवार
18	ग्रीष्मकालीन अवकाश/ईद-उल-जूहा (बकरीद)	22 मई से 10 जून	17	शुक्रवार से बुधवार
19	मुहर्म्म	26 जून	1	शुक्रवार
20	हुल दिवस	30 जून	1	मंगलवार
21	रथ यात्रा	16 जुलाई	1	गुरुवार
22	विश्व आदिवासी दिवस	9 अगस्त	0	रविवार
23	स्वतंत्रता दिवस (तृतीय शनिवार)	15 अगस्त	0	शनिवार
24	मिलाद-उल-नबी या ईद-ए-मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस)	26 अगस्त	1	बुधवार
25	रक्षा बंधन	28 अगस्त	1	शुक्रवार
26	जन्माष्टमी	4 सितंबर	1	शुक्रवार
27	गणेश चतुर्थी	14 सितंबर	1	सोमवार
28	विश्वकर्मा पूजा	17 सितंबर	1	गुरुवार
29	करमा पूजा	22 सितंबर	1	मंगलवार
30	करमा (फुलखोंसी)	23 सितंबर	1	बुधवार
31	महात्मा गाँधी का जन्म दिवस	2 अक्टूबर	1	शुक्रवार
32	शारदीय नवरात्र/कलश स्थापना	11 अक्टूबर	0	रविवार
33	दुर्गा पूजा (महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी/विजयादशमी)	18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर	2	रविवार से मंगलवार
34	दीपावली	8 नवंबर	0	रविवार
35	गोवर्धन पूजा	9 नवंबर	1	सोमवार
36	भैयादूज/चित्रगुप्त पूजा	11 नवंबर	1	बुधवार
37	भगवान बिरसा मुण्डा जयंती/ राज्य स्थापना दिवस/सूर्य षष्ठी डाला छठ (सायं अर्ध)	15 नवंबर	0	रविवार
38	सूर्य षष्ठी डाला छठ (प्रातः अर्ध)	16 नवंबर	1	सोमवार
39	गुरुनानक जयंती	24 नवंबर	1	मंगलवार
40	क्रिसमस डे (बड़ा दिन)	25 दिसंबर	1	शुक्रवार
41	शीतकालीन अवकाश	28 दिसंबर से 31 दिसंबर	4	सोमवार से गुरुवार
42	स्थानीय पर्व एवं आकस्मिक स्थानीय आवश्यकतानुसार उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर से निर्धारित किए जाने वाले अवकाश—	—	5	माधे पर्व, बाहा पर्व, चेहल्लुम, जिउतीया, शब्बे-ए-बारात, हरितालिका व्रत (तीज), रमजान का अंतिम शुक्रवार, एरोक पोरोब, हरियाड़ पोरोब, दसांय, बेलबोरोन, नवान्न, इस्टर मंडे, रोजो संक्रांति, ओटोनोमस पर्व, मिशन एवं अन्य पर्व आदि।
कुल अवकाशों की संख्या			60	

नोट-

1. उपरोक्त अवकाश तालिका सभी कोटि के सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों पर लागू होगा। (आवासीय विद्यालयों को छोड़कर)
2. विभाग मौजूदा मौसम की स्थिति के आधार पर शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथियों में संशोधन कर सकता है।
3. विभाग द्वारा अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में साप्ताहिक छुट्टी रविवार के जगह पर शुक्रवार को होगी एवं रविवार को पड़ने वाले अवकाश के दिनों में बंद रहेंगे। शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाशों में रविवार तथा शुक्रवार को पड़ने वाले अवकाश-दिवसों की संख्या समान है। साथ ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत तथा कार्यपालक आदेश के अंतर्गत घोषित अवकाशों की टिप्पणी में उल्लिखित रविवार को पड़ने वाले अवकाशों की संख्या, घोषित अवकाशों में शुक्रवार को पड़ने वाले अवकाशों की संख्या के बराबर है।
4. चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के लिए निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।
5. सभी जिलों द्वारा उपरोक्त स्वीकृत वार्षिक अवकाश तालिका को सार्वजनिक रूप से सभी विद्यालयों के अनुपालन हेतु प्रचारित/प्रसारित किया जाएगा। जिला विशेष अपने जिले के स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप 05 दिनों की अवकाश की सूची झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, जे०सी०ई०आर०टी०, राँची को वार्षिक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
6. जिला द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पाँच दिवसों के अवकाश के अलावा विशेष परिस्थिति में यदि संबंधित जिले के उपायुक्त अथवा विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के आदेश से अवकाश घोषित किया जाता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति किसी रविवार अथवा अन्य अवकाश के दिनों में पठन-पाठन सुनिश्चित कर करनी होगी।
7. राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन विद्यालय में किया जाना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय पर्व को छोड़कर किसी अन्य अवसर पर रैलियाँ/प्रभात फेरी में बच्चे सम्मिलित नहीं होंगे।
8. जिला एवं राज्य स्तर से प्राप्त विभागीय आदेश अथवा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार विद्यालय में यदि कोई विशिष्ट दिवस/समारोह आयोजित किए जाते हैं तो इसे विद्यालय शिक्षण समय अपराहन 03:00 बजे के बाद आयोजित किए जाएँ।
9. अन्य विभागों द्वारा संचालित जागरूकता/उन्मुखीकरण हेतु आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम हेतु प्रशासी विभाग से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर-

राज्य परियोजना निदेशक, जे० ई० पी० सी०
-सह-निदेशक, जे० सी० ई० आर० टी०
राँची

हस्ताक्षर-

सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड

सौजन्य-



VERMA PRESS PVT. LTD.

4, R. G. STREET, THARPAKHNA, RANCHI (JHARKHAND) - 834 001

Phone : (0651) 2217945, 2217497, 9431102920, 9431174445, 9234674445

Visit us at www.vermapress.com, e-mail : vermapress@gmail.com